काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे विपक्षी विधायक

विपक्ष के 143 सांसदों के निलम्बन पर विरोध जताया

- प्रोटैम स्पीकर कालीचरण सराफ ने कहा, शपथ के अलावा बोले गए अन्य सभी शब्द सदन की कार्यवाही से निकाल दिए जाएं।
- सचिन पायलट ने पत्रकारों से कहा, केन्द्र सरकार बिना विपक्ष की संसद चाहती है, यह कभी संभव नहीं हो सकता।
- गहलोत व प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने भी सांसदों के निलम्बन पर सदन में विरोध जताया।

जयपुर, 20 दिसम्बर (का.प्र.)। सोलहवीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र में शपथ लेने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर कहा कि विपक्षी पार्टी के कई सांसदों को घर बिठा दिया गया। ऐसा आज तक के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। आज जो हालात देश में बन गए हैं, उनमें इंडिया गठबंधन का मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने भरोसा जताया कि नई सरकार कांग्रेस सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखेगी।

इसी मुद्दे को लेकर सचिन पायलट भी मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है संसद बिना विपक्ष के हो। यह कभी संभव नहीं हो सकता। सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन क्यों किया गया। मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। हम हमारी भूमिका को हर हाल में निभाएंगे। उन्होंने कहा कि 143 सांसदों का निलंबन कोई छोटी घटना नहीं है, ऐसा पहली बार देखा जा रहा है।

इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने विपक्षी सांसदों के संसद से निलंबन का विरोध जताते हुए शपथ लेने के बाद सदन में कहा कि मैं और मेरी पार्टी देश में प्रजातंत्र की हो रही हत्या की निंदा करते हैं। इस बीच सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने कहा कि शपथ के अलावा जो भी शब्द इन्होंने कहे हैं, उन्हें कार्रवाई से निकाला जाए।

शपथ के बाद मीडिया से बातचीत में डोटासरा बोले कि आज विधानसभा की कार्रवाई के दौरान हमारी पार्टी के तमाम विधायक बाजू पर काली पट्टी बांधकर सदन में आए और विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि 141 से ज्यादा सांसदों को केवल इस बात के लिए संसद से निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने यह पूछा कि संसद जैसे पवित्र स्थान पर हमला हुआ या सुरक्षा में चूक हुई। इसके बारे में देश के गृहमंत्री दो मिनट अपनी बात रखें कि यह कैसे हुआ और आगे ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं? उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है। इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं, उन्हें लोकसभा और राज्यसभा से निकाला जा रहा है। यह प्रजातंत्र के लिए सुखद संकेत नहीं है।

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमें यह आशंका है कि जैसा राज्यसभा या लोकसभा में चल रहा है, कहीं वैसा ही राजस्थान की विधानसभा में न होने लगे। राजस्थान की जनता की आवाज को दबाया नहीं जाए, इसके लिए हम लोग प्रतिपक्ष की सशक्त भूमिका के लिए तैयार हैं। डोटासरा ने कहा कि हमारी जनहित की अच्छी योजनाओं को यदि नई सरकार बंद करती है तो उसका सदन से सड़क तक विरोध किया जाएगा।

इससे पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने शार्ट नोटिस पर और बिना राज्यपाल के अभिभाषण के विधानसभा का उद्घाटन सत्र बुलाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण से सदन की कार्रवाई शुरू करने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 24 घंटे पहले सूचना मिलती है कि हमारे यहां भजन है, आप आ जाओ। इस पर भाजपा विधायकों ने आपत्ति जताई। हालांकि, प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने कहा कि सबसे पहले नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ होगी। उसके बाद ही इन सब विषयों पर चर्चा की जाती है। ऐसी परंपरा रही है।

प्रधानमंत्री मोदी से मिली ममता बनर्जी

नयी दिल्ली, 20 दिसंबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि, प्रधानमंत्री ने केंद्र से राज्य के विभिन्न योजनाओं में बकाया राशि के मुद्दे के निपटारे के लिए अधिकारियों की संयुक्त बैठक का प्रस्ताव किया है।

उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार का केंद्र पर विभिन्न योजनाओं का 1.16 लाख करोड़ रुपये का बकाया हो गया है। पश्चिम बंगाल के अधिकारी केंद्रीय अधिकारियों के साथ इस मामले पर सौ से अधिक बैठकें कर चुके हैं पर इसका

- बताया जाता है कि, प. बंगाल की मुख्यमंत्री ने बकाया भुगतान के लिए गुहार की।

समाधान नहीं हुआ है।प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस पोस्ट के साथ बैठक के फोटो भी साझा किए गए हैं। बनर्जी ने संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री के कार्यालय में हुई इस बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि, केंद्र पर पश्चिम बंगाल में विभिन्न योजनाओं का एक लाख 16 हजार करोड़ रुपये बकाया है।

राजस्थान की दिव्यकृति सिंह को मिला अर्जुन अवॉर्ड

दिव्यकृति इक्वेस्ट्रियन गेम में अर्जुन अवॉर्ड पाने वाली पहली महिला घुड़सवार हैं

जयपुर, 20 दिसंबर। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने इस वर्ष के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन अवॉर्ड की घोषणा की। राजस्थान की प्रख्यात इक्वेस्ट्रियन एथलीट दिव्यकृति सिंह इस वर्ष यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली राजस्थान की एकमात्र एथलीट हैं। इक्वेस्ट्रियन में

- एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी दिव्यकृति सिंह अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ी हैं, यहीं उन्होंने घुड़सवारी सीखी थी।

अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित होने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला घुड़सवार भी हैं।

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जस्टिस खानविलकर की अध्यक्षता में एक प्रतिष्ठित समिति ने कठिन चयन प्रक्रिया के बाद विशिष्ट पुरस्कार विजेताओं का चयन किया है। समिति ने इक्वेस्ट्रियन खेल के क्षेत्र में दिव्यकृति के उल्लेखनीय योगदान को मान्यता दी। दिव्यकृति सिंह एशियाड खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं।

दिव्यकृति ने अर्जुन अवॉर्ड की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, "यह एक सुखद अनुभव है, और मैं अपने घोड़ों और अपने कोच की आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस उपलब्धि को हासिल करने में मदद करने में समान भूमिका निभाई है।"

दिव्यकृति सिंह

पिछले तीन वर्षों में, दिव्यकृति ने जर्मनी में हेगन के प्रसिद्ध हॉफ कैसलमैन ड्रेसाज यार्ड में प्रशिक्षण लिया है।

सन् 2023 में उनके शानदार प्रदर्शन में हांग्जो, चीन में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली ड्रेसाज टीम में योगदान देना और पिछले महीने रियाद, सऊदी अरब में अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसाज प्रतियोगिता में एक व्यक्तिगत रजत और दो कांस्य पदक हासिल करना शामिल है।

उनकी हालिया उपलब्धियों के अतिरिक्त, इक्वेस्ट्रियन खेलों में दिव्यकृति का वैश्विक स्थिति उनकी उल्लेखनीय रैंकिंग से रेखांकित होती है। मार्च 2023 तक, इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन द्वारा जारी ग्लोबल ड्रेसाज रैंकिंग में उन्हें एशिया में नंबर 1 और विश्व में नंबर 14 स्थान दिया गया था। गौरतलब है कि दिव्यकृति सिंह द पैलेस स्कूल, जयपुर और मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल, अजमेर की पूर्व छात्रा हैं।

बून्दी टनल के बाहर बीच सड़क पर दिखा पैंथर

- रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व क्षेत्र के समीप बूंदी टनल में बैठे पैंथर को देखकर वाहन रूक गए तथा कई लोगों ने पैंथर की तस्वीरें भी ली।
- बूंदी के जंगलों में इन दिनों बाघ-बघेरों की संख्या बढ़ गई है।
- क्षेत्र के वन्य जीव प्रेमी विट्ठल सनाढ्य ने बताया कि रामगढ़ टाइगर रिज़र्व में बफर ज़ोन की दीवार का काम पूरा नहीं होने से वन्य जीव बाहर आ जाते हैं।

बून्दी, 20 दिसम्बर(निसं)। बूंदी के जंगलों में इन दिनों अक्सर बाघ-बघरों की दहाड़ सुनाई देती है और अब तो हाइवे पर भी ये जानवर दिखने लगे है। जानकारी के अनुसार तीन दिन पहले रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व (आर.वी.टी.आर.) क्षेत्र से लगे बून्दी टनल के बाहर हाइवे पर एक पैंथर ओवरब्रिज के लिंक रोड़ पर बैठा हुआ दिखाई दिया। पैंथर को देख कर वाहन चालक अचंभित होकर वहीं ठहर गए। इनमें से कुछ ने पैंथर के वीडियो भी बनाए।

हालांकि क्षेत्र में पैंथर के द्वारा किसी प्रकार की जन हानि नहीं हुई हैं, लेकिन जंगलों के समीप के गांवों और क्षेत्रों में भेड़ बकरियों के शिकार की घटनाएं अमूमन घटती रहती हैं। पिछले दिनों भी कालदां के जंगलों में चरवाहों के डेरे में पैंथर ने बकरी और गधे का शिकार किया था। दबलाना के पास बडगांव में पैंथर ने बकरियों का शिकार किया था। वन्य जीव प्रेमी विट्ठल सनाढ्य ने बताया कि रामगढ़ टाइगर रिजर्व बफर ज़ोन में सुरक्षा दीवार का कार्य पूर्ण नहीं होने से वन्यजीव बाहर आ जाते हैं। सनाढ्य ने टनल क्षेत्र में हाइवे किनारे मृत मवेशियों के डालने पर रोष जताते हुए कहा कि मृत मवेशियों की गंध भी वन्यजीवों को आकर्षित करती हैं। हमारी मांग हैं कि सुरक्षा दीवार का कार्य जल्द पूर्ण हो, ताकि वन्य जीवों को सुरक्षा मिल सके और वन विभाग को प्रशासन के साथ मिल कर हाइवे किनारे और रिजर्व क्षेत्र में मृत मवेशियों के डालने पर रोक लगवाने के प्रयास करने चाहिए।

विशेषज्ञों का कहना है कि, बून्दी के जंगलों की आबोहवा वन्यजीवों को रास आ रही हैं, जिसका प्रमाण वन्यजीवों की बढ़ती संख्या हैं। जिले की समृद्ध जैवविविधता व 27 प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र होने से यहां बाघ बघेरों सहित सभी वन्यजीव मौजूद है। अभी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में कुल 6 टाइगर है इनमें एक नर दो मादा व तीन शावक हैं। वहीं 25-30 पैंथर टाइगर रिज़र्व में तथा पैराफेरी क्षेत्र में 6 पैंथर मौजूद हैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के सघन एवं दुर्गम जंगलों में बघेरों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सदाबहार जलस्त्रोतों वाले इस जंगल में जंगली सूअर, नीलगाय व सांभर हरिणों की संख्या में भी वृद्धि हुई है लेकिन चिंकारा गायब हो गए हैं। जंगल में चिंकारा की कमी आने व पैंथर के लिए अन्य पर्याप्त प्रे-बेस (भोजन) नहीं होने से भी वन्यजीव आए दिन भेड़ बकरियों को शिकार बनाने लगे है।

पृथ्वी सिंह राजावत, पूर्व वन्यजीव प्रतिपालक ने बताया कि बून्दी के जंगलों मे प्रे-बेस और ग्रासलैंड की की समस्या हैं, वहीं दूसरी समस्या अवैध चराई की हैं। विभाग को अवैध चराई पर प्रतिबंध लगाने के साथ प्रे-बेस और ग्रासलैंड में वृद्धि के प्रयास किए जाने चाहिए।

संजीव शर्मा, उपवन संरक्षक (कोर), आरवीटीआर बून्दी ने बताया कि आमजन को वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण से जोड़ने, जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ताकि उन्हें भी का वातावरण नहीं बने। आमतौर पर पैंथर जैसे वन्यजीव शिकार का पीछा करते हुए या शिकार के लालच में जंगल के बाहर आ जाते हैं। वैस भी पैंथर को जब तक नहीं छेड़ेंगे, वह हमला नहीं करता। ओपी जांगीड़, उपवन संरक्षक, बून्दी ने बताया कि वन क्षेत्रों में वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाने हेतु सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। जंगलों में वन्यजीवों के संरक्षण के साथ अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। वन्यजीवों के लिए प्रेबेस और ग्रासलैंड विकसित की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम भी जल्दी ही मिलेंगे। वन्यजीवों को भोजन, पानी व रहवास की पर्याप्त सुविधा मिलेगी तो यह जंगल से बाहर भी नहीं आएंगे।

निलम्बित...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक ऐसी संशोधित तस्वीर हाथों में ले रखी, जिसमें उनका मुंह बंद था।

संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के सांसदों का निलम्बन वापस लेने की मांग को लेकर बुधवार को फिर हंगामा और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला।

दोपहर 12 बजे विरोध खत्म हो गया। उसके बाद सत्तारूढ़ पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने तीन नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा की। प्रदर्शनकारी सांसदों ने अपने हाथों में "लोकतंत्र पर पहरा" जैसे नारे लिखी तख्तियां उठा रखी थीं और उनकी मांग थी कि गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सदन में बयान दें।

मज़ाक उड़ाए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ही नीचे जा चुका है?"

राज्यसभा के सभापति ने कहा कि उन्हें अपमानित होने की परवाह नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति कार्यालय....., मेरा किसान समुदाय....., मैं बलिदान दूंगा। खून का घूंट पीता हूं, किन्तु यदि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस पद की गरिमो की रक्षा नहीं कर सकता तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।"

धनखड़ ने जब से टिप्पणियां कीं तब राज्यसभा में भाजपा सांसद एक घंटे उनके समर्थन में थे और नारेबाजी कर रहे थे।

विपक्ष के निलम्बित सांसद कल जब संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब बनर्जी द्वारा की जा रही मिमिक्री को कैमर में कैद कर लिया गया। गांधी ने इसकी वीडियोग्राफी की।

तृणमूल सांसद ने कहा कि उनका इरादा किसी को भी आहत करने का नहीं था तथा "मिमिक्री" एक आर्ट है। बनर्जी ने यह भी कहा कि बनर्जी ने विपक्ष के नेताओं का संसद के भीतर मजाक उड़ाया था।

बनर्जी ने यह भी कहा कि वह राज्यसभा के सदस्य नहीं है और यह नहीं जानते कि धनखड़ वहां की कार्यवाहियों का संचालन किस तरह स करते हैं। कई जाट संगठनों ने यह कहते हुए बनर्जी का विरोध किया है कि उनका यह कृत्य जाट समाज का अपमान करने के बराबर है।

शपथ ग्रहण के दौरान

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजस्थान की जनता जाने और देश जाने। भारत आदिवासी पार्टी का जो उद्देश्य है कि वो अपने कल्चर को बचाए रखें और अधिकारों के लिए लड़ें। इसी के लिए आज यहां पहुंचे हैं।

नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ लेने के मामले को लेकर सदन में हंगामा भी हुआ। नवनिर्वाचित विधायक अभिमन्यु भाटी ने राजस्थानी भाषा में शपथ लेने लगे तो प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने आपत्ति जताई और कहा कि राजस्थानी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसलिए अनुसूची में जो भाषा शामिल है, उसी में शपथ ले सकते हैं। इस पर करीब पांच मिनट तक सदन में हंगामा होता रहा। बाद में भाटी को हिंदी में ही शपथ लेनी पड़ी।

भाटी ने कहा कि मैंने पहले ही सूचित किया था। इस संबंध में विधानसभा को मेल भी किया था। विरोध होने पर भाटी ने तल्ख लहजे में कहा, यह शर्म की बात नहीं है। आप सभी सहयोग करें। आप ऐसे किसी को टोक नहीं सकते।

विवाद बढ़ता देख प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ आसन से खड़े हुए। उन्होंने कहा कि जो भाषा आठवीं अनुसूची में है, उसी भाषा में ही शपथ ले सकते हैं। राजस्थानी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसलिए आप राजस्थानी भाषा में शपथ नहीं ले सकते। आप हिंदी व अंग्रेजी में शपथ ले सकते हैं। इस पर विधायक भाटी बोले, आप राजस्थानी को मान्यता दिला दो। स्पीकर बोले,अभी मान्यता नहीं है। इस पर काफी देर तक विवाद चलता रहा।

इसी बीच कांग्रेसी विधायक गोविंद डोटासरा ने भी चुटकी ली। डोटासरा ने कहा कि अब तो डबल इंजन की सरकार आ गई है। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाओ। तब अंत में भाटी ने कहा कि सदन का मान रखते हुए मैं हिन्दी में शपथ लेता हूं।

प्रटैम स्पीकर ने सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा को शपथ दिलाई। शपथ से पहले विधायक शांति धारीवाल ने कहा पहले राज्यपाल का अभिभाषण होता है उसके बाद शपथ का कार्यक्रम किया जाना चाहिए। इस पर प्रोटेम स्पीकर कालीचरण ने कहा कि पहले शपथ होगी उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा।

अयोध्या के लिए ज्यादा ट्रेन चलाई जाएगी

रेल्वे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने घोषणा की

अयोध्या, 20 दिसम्बर। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने बुधवार को कहा कि, अयोध्या में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की संख्या में बढ़ ोत्तरी की संभावना के मद्देनजर रेलवे प्रशासन रामनगरी के लिये ट्रेन की संख्या में बढ़ ोत्तरी पर विचार कर रहा है।

सिन्हा ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद अयोध्या में देश-विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक भगवान श्रीरामलला का दर्शन करने आयेंगे। इसको देखते हुए अयोध्या में ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि, डबल ट्रैक का कार्य जोरों से चल रहा है। यह शीघ्र पूरा हो जायेगा। ट्रेन चलाने के लिये ट्रैक खाली रहेगा तो और नई ट्रेन चलायी जा सकती है। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष ने नवनिर्मित अयोध्या रेलवे स्टेशन और रामघाट हाल्ट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया।

श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण पर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 जनवरी को करेंगे। इसको लेकर श्रीराम मंदिर की तर्ज पर अयोध्या रेलवे स्टेशन को नवनिर्मित किया गया है। रेलवे स्टेशन पर रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक की और प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रेलवे के द्वारा दी जाने वाली श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर चर्चा की।

'जे.डी.ए. दो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह कह के खारिज कर दिया कि उनकी भूमि "फैसिलिटी एरिया" में आती है। और जे.डी.ए. के अफसरों ने वर्ष 2002 में यह भी फैसला ले लिया कि उक्त भूमि की नीलामी होगी। हालांकि याचिकाकर्ता जे.डी.ए. के इस फैसले के खिलाफ अदालत से राहत प्राप्त करने में सफल हुए। इस मामले में यह भी सामने आया कि वर्ष 2004 में जे.डी.ए. ट्राईब्यूनल ने भी स्वीकार किया था कि यह उक्त भूमि "फैसिलिटी एरिया" में नहीं आती, जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार ने भी वर्ष 2009 में आदेश पारित किए थे जिनमें उक्त भूमि को "फैसिलिटी एरिया" से बाहर रखा गया था। इन तथ्यों के बावजूद जे.डी.ए. ट्राईब्यूनल ने वर्ष 2015 में आदेश पारित किए जिसमें याचिकाकर्ता को भू अतिक्रमणकारी बताया और पट्टा देने से इंकार कर दिया। इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

आज होगा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजस्थान विधानसभा में सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव की परंपरा रही है। इस बार भी यही परंपरा निभाई जाएगी, वासुदेव देवनानी का सर्वसम्मति से स्पीकर चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है।

16 विधायकों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शपथ लेकर सभी को चौंका दिया।

राजस्थान विधानसभा के इतिहास में संभवत: ये पहली बार था। जब किसी अल्पसंख्यक विधायक ने संस्कृत भाषा में अपने पद पर शपथ ली हो।

यूनुस और जुबेर के शपथ ग्रहण पर सदन में मौजूद अन्य विधायकों ने मेज़ थपथपाकर सराहा।

संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले विधायकों की संख्या इस बार अच्छी खासी रही। उनमें पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, सिविल लाइन्स से गोपाल शर्मा, फलौदी से पब्बाराम बिश्नोई , अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी, मांडल से उदयलाल भडाना, कामां से नौक्षम चौधरी, हवामहल से बाल मुकुंद आचार्य, शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड, आहोर से छगन सिंह राजपुरोहित, जालोर से जोगेश्वर गर्ग, गढ़ी से कैलाश चंद्र मीणा, बीकानेर पश्चिम से जेठानंद व्यास, सुमेरपुर से जोराराम कुमावत, राजसमंद से दीप्ति किरण माहेश्वरी सहित अनेक विधायकों ने संस्कृत भाषा में शपथ ली।

मेरे वीडियो बनाने की बजाय सांसदों के निलंबन पर हो चर्चा

- कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मिमिक्री विवाद को जबरन तूल दिए जाने पर कहा।

नयी दिल्ली, 20 दिसंबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नये संसद भवन के मकर द्वार पर सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सांसदों के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हुए गांधी द्वारा वीडियो बनाने पर बुधवार को कहा कि, उनके बनाए वीडियो की बजाय सांसदों के निलंबन पर चर्चा होनी चाहिए।

गांधी ने मिमिक्री विवाद पर बुधवार को कहा कि, सांसद संसद भवन के बाहर गेट पर बैठे थे तो उन्होंने वीडियो बनाया है लेकिन इसको लेकर चर्चा हो रही है और असली मुद्दों पर कोई चर्चा ही नहीं की जा रही है।

उन्होंने कहा,सांसद वहां बैठे थे, मैंने उनका वीडियो शूट किया। मेरा वीडियो मेरे फोन पर है लेकिन मीडिया दिखा रहा है। हमारे 150 सांसदों को बाहर निकाल दिया गया है लेकिन इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। मीडिया में उस पर कोई चर्चा नहीं है। अडानी पर कोई चर्चा नहीं है, राफेल पर कोई चर्चा नहीं है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं है। हमारे सांसद निराश हैं और बाहर बैठे हैं, लेकिन मिमिक्री पर चर्चा ही रही है।

गौरतलब है कि, संसद से निलंबन के बाद विपक्ष के सदस्य संसद भवन के बाहर उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे थे तो इस दौरान गांधी वीडियो बना रहे थे जिसको लेकर मीडिया में खूब चर्चा की जा रही है। गांधी का कहना है कि उनके वीडियो बनाने के बजाय मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।

अब 'दण्ड' नहीं बल्कि 'न्याय' पर ध्यान केन्द्रित

आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव करने वाले तीन विधेयक लोकसभा में पारित

- गृह मंत्री अमित शाह ने करीब छह घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि, कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया हैं। संगठित अपराधों एवं घोषित अपराधियों के बारे में कड़े प्रावधान किए गए हैं। राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया जा रहा है। भीड़ द्वारा पीट-पीटकर की गई हत्या (मॉबलिंचिंग) को गंभीरतम अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
- "सी.आर.पी.सी. में पहले 484 धाराएं थी। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी, 177 धाराओं में बदलाव हुआ है और 9 धाराएं व 39 नयी उपधाराएं जोड़ी गई हैं, 44 नए प्रावधान व स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 धाराओं में समय सीमा जोड़ी गई है और 14 धाराओं को हटा दिया गया है।"

नयी दिल्ली, 20 दिसंबर। भारत में अंग्रेजों के जमाने की दंड आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली को हटा कर उसके स्थान पर न्याय केन्द्रित भारतीय मूल्यों पर आधारित न्यायिक प्रणाली स्थापित करने वाले तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को लोकसभा ने आज ध्वनिमत से पारित कर दिया।

लोकसभा में भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक- 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता विधेयक -2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 पर दो दिनों तक करीब छह घंटे तक चली चर्चा का गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार अंग्रेजों के जमाने के कानूनों में बदलाव कर आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव ला रही है। उन्होंने कहा कि ,प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति की बात कही थी, उसी के तहत गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में बदलाव के लिए गहन विचार किया।

उन्होंने कहा कि, तीनों विधेयकों में व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार के तीन सिद्धांतों के आधार पर बनाये जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार अपराध न्याय प्रणाली से जुड़े तीनों कानूनों का मानवीकरण होगा। भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद, संगठित अपराध एवं भ्रष्टाचार जैसे विषय जोड़े गये हैं और इसे दंड केन्द्रित नहीं बल्कि न्याय केन्द्रित बनाया गया है। उन्होंने कहा कि, कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। संगठित अपराधों एवं घोषित अपराधियों के बारे में कड़े प्रावधान किये गये हैं। राजद्रोह के अपराध को समाप्त कर देशद्रोह तथा भीड़ द्वारा पीट पीट कर की गयी हत्या (मॉब लिंचिंग) को गंभीरतम अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

गृह मंत्री के करीब डेढ़ घंटे तक चले जवाब के बाद सदन ने एक एक कर तीनों विधेयकों को सरकारी संशोधनों के साथ पारित कर दिया। ये विधेयक डेढ़ सौ साल से अधिक पुरानी भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। इस प्रकार से देश ने आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन की दिशा में एक कदम बढ ढा दिया। तीनों विधेयकों को गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। विधेयकों में विदेशों में मौजूद अपराधियों के मामले में कार्रवाई के लिए कुछ संशोधन किये गये हैं। इसके बाद व्याकरण और भाषा संबंधी जो त्रुटियां थीं उन्हें दूर किया गया है।

गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा, हमने कहा था कि, हम धारा 370 और 35-ए हटा देंगे, हमने हटा दिया। हमने वादा किया था, आतंकवाद को समाप्त कर देंगे, जीरो टॉलरेंस यानी कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति बनाएंगे और सुरक्षाकर्मियों को स्वतंत्रता देंगे, हमने दिया। हमने कहा था कि, अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे और अब 22 जनवरी, 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये नरेन्द्र मोदी की सरकार है, जो कहती है-वो करती है।

शाह ने कहा, "इस ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने तीन कानून, जिनसे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली चलती है, उन तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता की चिंता करने वाले बहुत आमूल-चूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं।"उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) जो 1860 में बना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं बल्कि दंड देना ही था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) 2023 इस सदन के अनुमोदन के बाद अमल में आएगी।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908